



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253032
CG-DL-E-15032024-253032

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2024/फाल्गुन 23, 1945

No. 170]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2024/PHALGUNA 23, 1945

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2024

क्रा. सं. CEA-PS-12-13/3/2022-PSPA-II Division.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 36) की धारा 63 के तहत बनाई गई पारेषण सेवाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों के पैरा 3.2 और विद्युत मंत्रालय के कार्यालय आदेश दिनांक 28.10.2021 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय पारेषण समिति (एनसीटी) (अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में), पारेषण योजना के लिए निम्नलिखित बोली-प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) नियुक्त करती है, जैसा कि पारेषण योजना के नाम के आगे दर्शाया गया है:

क्रम. सं.	पारेषण योजना का नाम	पारेषण योजना का व्यापक दायरा * तथा अनुमानित कार्यान्वयन समय सीमा	बोली-प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी)
1	राजस्थान आरईजेड चरण-III योजना (20 गीगावॉट) के हिस्से के रूप में भड़ला -III पीएस से बिजली की निकासी के लिए अतिरिक्त पारेषण प्रणाली	1. भड़ला -III पीएस में 2x500 एमवीए (चौथा और पांचवा) 400/220 केवी आईसीटी का विस्तार 2. भड़ला -III पीएस पर 220 केवी बस सेक्शनलाइजर (1 सेट) के साथ 220 केवी वीसी (1 नंबर) वे और 220 केवी टीवीसी (1 नंबर) वे कार्यान्वयन समय सीमा (उपरोक्त बिंदु 1 व 2 के लिए): 18 महीने 3. भड़ला -III पीएस में 2x1500 एमवीए 765/400 केवी (तीसरी और चौथी) आईसीटी का विस्तार कार्यान्वयन समय सीमा (उपरोक्त बिंदु 3 के लिए):	आरईसीपीडी सीएल

		• 765/400 केवी आईसीटी-3: एसपीवी स्थानांतरण की तारीख से 18 महीने# • 765/400 केवी आईसीटी-4: 30.12.25 # 765/400 केवी आईसीटी को जून'25 तक चालू करने का प्रयास किया जा सकता है	
--	--	---	--

* पारेषण योजना का विस्तृत कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय पारेषण समिति की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त और बाद के संशोधन, में निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://cea.nic.in/wp-content/uploads/comm_transmission/2024/02/17th_NCT_MOM.pdf

बोली-प्रक्रिया समन्वयक की नियुक्ति दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./826/2023-24]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2024

F. No. CEA-PS-12-13/3/2022-PSPA-II Division.—In exercise of the powers conferred by Para 3.2 of the Tariff Based Competitive Bidding Guidelines for Transmission Services framed under Section 63 of the Electricity Act, 2003 (no. 36 of 2003) and Ministry of Power office order dated 28.10.2021, National Committee on Transmission (NCT) headed by Chairperson, Central Electricity Authority hereby appoints the following Bid-Process Coordinator (BPC) for the Transmission Schemes, as shown against the name of the Transmission schemes:

Sl. No.	Name of Scheme	Broad Scope* of the transmission scheme and Tentative Implementation timeframe*	Bid Process Coordinator
1	Additional Transmission system for evacuation of power from Bhadla-III PS as part of Rajasthan REZ Phase-III scheme (20 GW)	1. Augmentation of 2x500 MVA (4th & 5th) 400/220 kV ICTs at Bhadla-III PS 2. 220 kV bus sectionalizer (1 set) along with 220 kV BC (1 no.) bay and 220 kV TBC (1 no.) bay at Bhadla-III PS Implementation timeframe (Point 1 and 2 above) : 18 months from the date of SPV Transfer 3. Augmentation of 2x1500 MVA 765/400 kV (3rd & 4th) ICTs at Bhadla-III PS Implementation timeframe (Point 3 above): • 765/400kV ICT-3: 18 months from the date of SPV Transfer[#] • 765/400kV ICT-4: 30.12.25 #efforts may be made to commission the 765/400 kV ICT by Jun'25	RECPDCL

*Detailed scope may be seen in the minutes of the 17th meeting of the National Committee on Transmission and subsequent amendments, available at:

https://cea.nic.in/wp-content/uploads/comm_transmission/2024/02/17th_NCT_MOM.pdf

The appointment of the Bid-Process Coordinators is subject to the conditions laid down in the Guidelines.

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./826/2023-24]